न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—8/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/8)

1. कालूराम पुत्र लादू आयु 65 वर्ष जाति भांबी निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

अपीलांट

बनाम

1. हनुमान पुत्र नवलराम जाति अहीर यादव निवासी सुत्तरखाना मोहल्ला नसीराबाद जिला अजमेर
2. प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा नसीराबाद जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.11.2019 राजस्व वाद संख्या 8/2019

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत, अभिभापक अपीलांट
2. श्री नवीन गुर्जर व शशिकान्त जोशी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पारीक राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 03
4. रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—20.10.2022

1. यह अपील प्रकरण संख्या 8/2019 में पारित आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के विरूद्ध दिनांक 14.11.2019 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1/प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र को खारिज करने के प्रार्थना की। तत्पश्चात प्रकरण में मौका रिपोर्ट तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की सुनी गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने प्रार्थना पत्र को दिनांक 14.11.2019 को स्वीकार कर लिया। उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के दिनांक 14.11.2019 से असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाशक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को सुना गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 02 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नही।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवदेन किया कि अपीलार्थी की खातेदारी काश्तकारी भूमि हाल खसरा नम्बर 5428, 5426, 5412, 5411 कोटा रोड सडक के पास स्थित है तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा रास्ता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है कि निर्धारित राशि का कम रूपए का आदेश दिनांक 14.11.2019 को पारित किया गया की आड में अपीलांट को मौके पर दखल बाधा कारित करते हुए दिनांक 11.01.2021 को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा कम राशि देने का बात कहते हुए अपीलार्थीगण की जमीन हडपने पर आमादा हो गया जिससे यह अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 14. 11.2019 की पालना हेतु दिनांक 11.01.2021 को रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा कहते हुए अपीलार्थी को निर्धारित रकम से कम रकम देने की बात कही तब अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में अविलम्ब कानूनी सलाह प्राप्त कर बिना कोई देरी किए यह अपील प्रस्तुत की गई है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की भूमि बाबत डी.एल.सी. राशि सडक के 100 मीटर दायरे में होने से 827100 रूपए के हिसाब से निर्धारित करने के स्थान पर मात्र 109800 रूपए के डी.एल.सी.दर से निर्धारित किया गया है से अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाने योग्य है। मौका रिपोर्ट में जो राशि दर्शायी गई है उसमें चाहा गया रास्ते की दर 827100 रूपए एवं वैकल्पिक रास्ता की दर 109800 रूपए दर्शायी गई है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि जिसमें रास्ता चाहा गया है एवं वैकल्पिक रास्ता चाहा गया है के खसरा नम्बर 5428, 5426, 5412, 5411 पास पास है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा भी बाजार दर से रास्ता लेने के लिए सहमति प्रदत्त की गई थी किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के आदेश दिनांक 14.11.2019 द्वारा पारित निर्णय को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने प्रार्थना पत्र जवाब/ बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2021(1) पेज 336 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 5399 रकबा 0. 39, 5401 रकबा 0.35, 5410 रकबा 0.38, 5416 रकबा 0.38 की आराजी रेस्पोडेंट की खातेदारी की है उक्त आराजी पर रेस्पोडेंट कदीम से काबिज काश्त चला आ रहा है। एवं राजस्व अभिलेख में भी उक्त आराजी रेस्पोडेंट की खातेदारी काश्तकारी में दर्ज है। रेस्पोडेंट के कृषि कार्य हेतु अपने खेतों पर आवगमन हेतु प्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 5426 व 5428 में से एवं खसरा नम्बर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

5424 जो राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है में से आवागमन करता है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त रेस्पोडेंट के खातेदारी खेतों पर आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता विधमान नहीं है। प्रार्थी कृषि कार्य हेतु अपने खतों पर अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी खेत खसरा नम्बर 5426, 5428, 5424 जो राजस्व अभिलेख में सिवायचक दर्ज है में से आवगमन करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नसीराबाद को दिनांक 13.9.2019 को पत्र प्रेषित कर आत्यांतिक आवश्यकता एवं अन्य वैकल्पिक रास्ते बाबत डी एल सी दर से राशि का निर्धारण करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। आई.एल.आर द्वारा मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रेस्पोडेंट/प्रार्थी के खसरा नम्बर 5399,5401,5410,5416 पर आवगमन हेतु राजस्व रिकार्ड व मौके पर कोई रास्ता नहीं है व रेस्पोडेंट/ प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 5426, 5428 अपीलार्थी/अप्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है व आई.सी.आई.सी. आई बैंक द्वारा राहिन है, व खसरा संख्या 5424 गैर मुमकिन नाला दर्ज है जो प्रतिबंधित श्रेणी में आता है। आई.एल. आर द्वारा निर्मित मौका जांच रिपोर्ट में चाहा गया रास्ता खसरा संख्या 5426, 5428 मय डी.एल.सी दर 827100 रूपए व वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 5411, 5412 मय डी.एल.सी दर 109800 रूपए का स्पष्ट विवरण है। उक्त मौका जांच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 ने वैकल्पिक रास्ते हेतु स्वीकारोक्ति दिनांक 13.11.2019 पेश कर स्वयं के खसरा संख्या 5412 व 5411 में से रास्ता देने हेतु सहमति दी है व अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट/प्रार्थी के रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एवं आदेश 12 नियम 6 जा0दी0 के तहत स्वीकृति के आधार पर दिनांक 14.11.2019 को आदेश पारित किया जिसमें डी.एल.सी दर की दुगने की राशि 36854 रूपए का भुगतान करने का आदेश दिया गया। अपीलार्थी/अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा रेस्पोडेंट/प्रार्थी को परेशान करने व धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को मूल भावना के विरूद्ध जाकर उपरोक्त उनवानी अपील माननीय न्यायालय के समक्ष मियाद बाहर पेश कि है, जबकि खसरा नम्बर 5412 रकबा 0.31 हैक्टर व 5411 रकबा 0.16 हैक्टर में से क्रमशः 30.07 व 422.26 वर्ग मीटर क्षेत्र ही गैर मुमकिन रास्ते में लिए जाने है शेष हिस्सा से रेस्पोडेंट आई.सी.आई.सी.आई अपने राहिन की राशि चुकता कर सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डी.एल.सी राशि सड़क के 100 मीटर दायरे में होने से 827000 रूपए के हिसाब करने के स्थान पर मात्र 109800 रूपए निर्धारित की गई, जबकि चाहा गया रास्ता खसरा नम्बर 5426 व 5428 मुख्य मार्ग से जुडा था जबकि प्रस्तावित रास्ते के खसरा संख्या मुख्य सड़क से 100 मीटर से ज्यादा दूरी पर व खसरा संख्या 5432 जो कि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है, से मिले हुए है। यदि डी0एल0सी दर के संबंध में कोई संशय था तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई उज्र क्यों नहीं लिया गया। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमाए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें व विचारण न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार, नसीराबाद को निर्देशित करवाया जावे कि मौके पर अप्रार्थी को अपनी जोत में आवागमन हेतु रास्ता दिलवाया जावें।

8. हमने उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। अभिभाषक प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण अंकित किये गये है जो संतोषजनक होने से एवं न्यायहित में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते

है। अतःप्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद की पत्रावली का अवलोकन पर पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा दिनांक 13.11.2019 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम का जवाब देते हुए यह सहमति दी कि खसरा नम्बर 5411, व खसरा नम्बर 5412 अप्रार्थी/अपीलांट सहमत है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम पर विधि सम्मत आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खाारिज योग्य पायी जाती है।

10. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के द्वारा प्रकरण संख्या 8/2019 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2019 यथावत् रखा जाता है।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर